Govt. J.M.C. Mahila Mahavidyalaya, Mandla, Madhya Pradesh

AISHE Code: C-33429

Accredited: Grade ‘B’ by NAAC

Phone: 07642-252536 **E-Mail: hegjcgcman@mp.gov.in**
Website: https://gjmcgirlscollegemandla.in/

First Appointment Letters the of Faculty Members

Index

Sr. No.	Name of the Particular	Page No.
1	Dr. S.N. Khare	1-2
2	Dr. Aradhana Dubey	3
3	Dr. S.P. Dhumketi	4-5
4	Dr. Anjli Pandya	6-10
5	Dr. Anju Singh	11
6	Dr. Pradeep Kumar Soni	12
7	Mr. Rupesh Bhade	11

मध्य प्रदेश शासन
उच्च शिक्षा विभाग

आदेश

भोपाल, दिनांक 17 MAR 1987, 1987.

क्रमांक एफ 1/52 /87/प-1/38 - मध्यप्रदेश तदर्थ नियुक्तियों का नियमितीकरण नियम, 1986 तथा सामान्य प्रशासन विभाग के ज्ञापन क्रमांक एफ-ए-6-30-86-एम(1) द्वारा म०प्र० राजपत्र (असाधारण) में प्रकाशित अधिसूचना दिनांक 5/6/86 में प्रदत्त अधिकारों का उपयोग करते हुए तदर्थ रूप से कार्यरत निम्नलिखित सहायक प्राध्यापक को स्थानापन्न रूप से आगामी आदेश तक इतिहास ------------ विषय के सहायक प्राध्यापक पद पर मध्यप्रदेश शैक्षणिक सेवा (महाविद्यालयीन शाखा) में रू0 700-40-1100-50-1300-अतेतमेन्ट-50-1600 के वेतनमान में उनके नाम के समक्ष अंकित महाविद्यालय में परिवीक्षा पर नियुक्त किया जाता है।

प्रत्याशी एवं पिता/पति का नाम	जन्मतिथि	महाविद्यालय जहाँ पदांकित किया जाता है
सा0 60- श्री शरद नारायण खरे आत्मज श्री [illegible] खरे (शासकीय महाविद्यालय, मंडला)	25-9-1961	शासकीय कन्या महाविद्यालय, मंडला

2- उपर्युक्त नियुक्ति उनके चरित्र सत्यापन प्रतिवेदन के समाधान कारक पाए जाने की प्रत्याशा में की जाती है। यदि उनका चरित्र सत्यापन प्रतिवेदन, समाधानकारक नहीं पाया गया तो उनकी नियुक्ति बिना पूर्व सूचना के समाप्त की जा सकेगी।

3- उपर्युक्त नियमों के अधीन नियुक्त किया गया व्यक्ति इस आदेश की तारीख से ही नियमित नियुक्ति का पात्र होगा और उसे उन व्यक्तियों के नीचे रखा जाएगा जो इन नियमों के अधीन नियुक्त किये जाने के पूर्व सुसंगत भरती नियमों के अनुसार नियुक्त किए गए हैं।

4- यह नियुक्ति किसी भी ओर से एक माह का नोटिस अथवा उसके एवज में एक माह का वेतन दिया जाकर समाप्त की जा सकेगी ।

5- पद का नाम तथा वेतनमान शासन द्वारा किसी भी समय पुनरीक्षित किया जा सकता है ।

6- उपरोक्त नियुक्त व्यक्ति को इस आदेश के जारी होने के दिनांक से आठ वर्षों के अन्दर स्नातकोत्तर उपाधि [मास्टर्स डिग्री] के बाद की मान्यता प्राप्त उपाधि [यदि वर्तमान में ऐसी उपाधि उनके पास नहीं है] प्राप्त करनी होगी, अन्यथा उनको आगे वेतन वृद्धि की पात्रता नहीं होगी ।

7- नियुक्ति में अनुसूचित जाति/अनुसूचित जनजाति के प्रत्याशियों के आरक्षण संबंधी प्रावधानों का ध्यान रखा गया है ।

मध्यप्रदेश के राज्यपाल के नाम से तथा
आदेशानुसार,

[जी०पी०तिवारी]
उप सचिव,
मध्यप्रदेश शासन, उच्च शिक्षा विभाग.

पृ० क्रमांक एफ 1/52 /87/ए-1/38, भोपाल, दिनांक 17 MAR 1987 1987.

प्रतिलिपि :-

1- संबंधित प्राचार्य, शासकीय महाविद्यालय
2- आयुक्त, महाविद्यालयीन शिक्षा, मध्यप्रदेश, भोपाल [10 प्रतियों में]
3- संबंधित क्षेत्रीय अतिरिक्त संचालक, महाविद्यालयीन शिक्षा.
4- संबंधित तदर्थ सहायक प्राध्यापक की ओर । प्रथम वेतन प्राप्त करने के पूर्व स्वास्थ्य प्रमाण-पत्र नियमानुसार प्रस्तुत करना आवश्यक है ।
5- सचिव, म०प्र० शासन, सामान्य प्रशासन विभाग, भोपाल.
6- सचिव, लोक सेवा आयोग, म०प्र० इन्दौर.

[पी०एस०मरहास]
अवर सचिव,
मध्यप्रदेश शासन, उच्च शिक्षा विभाग.

मध्य प्रदेश शासन
उच्च शिक्षा विभाग

आदेश

भोपाल, दिनांक 15 जून, 1987.

क्रमांक एफ 1/ 53 /87/ब-1/38 - मध्यप्रदेश तदर्थ नियुक्तियों का नियमितीकरण नियम, 1986 तथा सामान्य प्रशासन विभाग के ज्ञापन क्रमांक एफ-ब-6-30-86-एम(1) द्वारा म0प्र0 राजपत्र (असाधारण) में प्रकाशित अधिसूचना दिनांक 5/6/86 में प्रदत्त अधिकारों का उपयोग करते हुए तदर्थ रूप से कार्यरत निम्नलिखित सहायक प्राध्यापक को स्थानापन्न रूप से आगामी आदेश तक ----- संगीत ----- विषय के सहायक प्राध्यापक पद पर मध्यप्रदेश शैक्षणिक सेवा (महाविद्यालयीन शाखा) में रु0 700-40-1100-50-1300-असेसमेन्ट-50-1600 के वेतनमान में उनके नाम के समक्ष अंकित महाविद्यालय में परिवीक्षा पर नियुक्त किया जाता है ।

प्रत्याशी एवं पिता/पति का नाम	जन्मतिथि	महाविद्यालय जहाँ पदांकित किया जाता है
121. श्रीमती आराधना दुबे पत्नी श्री शैलेश कुमार दुबे. (शासकीय कन्या महाविद्यालय, मंडला.)	1[illegible].1962	शासकीय कन्या महाविद्यालय, मंडला.

2- उपर्युक्त नियुक्ति उनके चरित्र सत्यापन प्रतिवेदन के समाधानकारक पाये जाने की प्रत्याशा में की जाती है । यदि उनका चरित्र सत्यापन प्रतिवेदन, समाधानकारक नहीं पाया गया तो उनकी नियुक्ति बिना पूर्व सूचना के समाप्त की जा सकेगी ।

3- उपर्युक्त नियमों के अधीन नियुक्त किया गया व्यक्ति इस आदेश की तारीख से ही नियमित नियुक्ति का पात्र होगा और उसे उन व्यक्तियों के नीचे रखा जाएगा जो इन नियमों के अधीन नियुक्त किये जाने के पूर्व सुसंगत भरती नियमों के अनुसार/नियुक्त किए गए हैं ।

मध्य प्रदेश शासन
उच्च शिक्षा विभाग
मंत्रालय

|| आ दे श ||

भोपाल, दिनांक 15 नवम्बर, 1996

क्रमांक एफ.1-104/96/33-1 :: म.प्र. लोक सेवा आयोग से चयनित निम्नलिखित अनुसूचित जाति/अनुसूचित जनजाति के उम्मीदवारों को तदर्थ रूप से चरित्र सत्यापन तथा संबंधित अधिकारियों द्वारा चयन के समय लोक सेवा आयोग के समक्ष प्रस्तुत जाति प्रमाण पत्र की जांच की प्रत्याशा में सहायक प्राध्यापक, हिन्दी के पद पर वेतनमान रूपये 2200-75-2800-100-4000 में उनके नाम के समक्ष दर्शाये गये महाविद्यालय में अस्थायी रूप से उनके कार्यभार ग्रहण करने के दिनांक से नियुक्त किया जाता है। यह नियुक्ति पूर्णतः अस्थायी है तथा संबंधित के चरित्र सत्यापन और जाति प्रमाण पत्र के सत्यापन में यदि कोई विपरीत तथ्य सामने आता है तो किसी भी समय बिना किसी पूर्व सूचना के सेवा समाप्त की जा सकेगी। इनके नियमित आदेश चरित्र सत्यापन प्राप्त होने तथा जाति प्रमाण पत्र सत्यापित होने पर पृथक से जारी किये जावेंगे :-

स.क्र.	नाम तथा वर्तमान पता	महाविद्यालय जहाँ पदस्थ किया जाता है.
(1)	(2)	(3)
1.	कु. मंजूलता चौधरी द्वारा-श्री भगवती प्रसाद चक्कीवाले, 25, आजाद पुरा बिड़लाग्राम, नागदा जिला उज्जैन (म0प्र0) 456336	शासकीय महाविद्यालय, आलोट जिला रतलाम
3.	श्रीमती देवीनन्दा जागृत ग्राम पोस्ट कुमरदा तहसील+जिला राजनांदगांव (म0प्र0) 491663	शासकीय महाविद्यालय, खैरागढ़ जिला राजनांदगांव
4.	श्री फूलचंद उइके, ग्राम सुगांव पोस्ट-बरगहना, तहसील डिण्डोरी जिला मंडला 481000	शासकीय महाविद्यालय, मंडला

निरन्तर----2

(1)	(2)	(3)
34.	श्री [illegible] कुमार [illegible] प्रधान पाठक, शास. प्रा. शाला [illegible] टोला पो.आ. बेलरगोंदी तहसील व जिला राजनांदगांव (म0प्र0) 491663	शासकीय महाविद्यालय, [illegible] चौकी जिला राजनांदगांव
36.	श्री रामलाल प्रजापति पोस्ट मेट्रिक आदिवासी बालक छात्रावास उत्तरी करोंदिया, पेट्रोल टंकी के पास, जिला सीधी (म0प्र0) 486661	शासकीय महाविद्यालय, कोतमा जिला शहडोल
37.	कु. दीपिका सोप द्वारा- श्री पी. सी. देवांगन, वार्ड नं. 5 पथरागुड़ा जगदलपुर (म0प्र0) 494001	शासकीय महाविद्यालय, आरंग जिला रायपुर
38.	श्री सदाशा प्रसाद [illegible] शासकीय कबीर छात्रावास क्र. नं. 33 यू0टी0डी0 जिला सागर (म0प्र0) 470003	शासकीय महाविद्यालय, रायगढ़
40.	श्री सीताराम अहिरवार पी. एम. एस. होस्टल भदभदा रोड भोपाल (म0प्र0) 462003	शासकीय महाविद्यालय, छिंदडोंगरी जिला राजनांदगांव

2/ नियुक्त प्रत्याशियों को जिला चिकित्सालय के मेडिकल बोर्ड का स्वास्थ्य प्रमाण पत्र कार्यभार ग्रहण करते समय प्रस्तुत करना होगा ।

3/ नियुक्तियों में अनुसूचित जाति/जनजाति, विकलांग श्रेणी के प्रत्याशियों के आरक्षण संबंधी प्रावधानों का ध्यान रखा गया है । उक्त श्रेणी के प्रत्याशियों को उपस्थिति के समय सक्षम अधिकारी का जाति प्रमाण पत्र प्रस्तुत करना अनिवार्य होगा ।

4/ पदभार ग्रहण करते समय आयु एवं शैक्षणिक योग्यता संबंधी मूल प्रमाण पत्र प्रस्तुत करना होगा एवं छायाप्रतियां सत्यापित करना होगा । सत्यापन के पश्चात मूल प्रमाण पत्र वापिस कर दिया जावेगा ।

निरन्तर---5

मध्यप्रदेश शासन
उच्च शिक्षा विभाग,

// आदेश //

भोपाल, दिनांक 8 नवम्बर 1989

[illegible] 3679/3259/89-1/09 [illegible] को मध्यप्रदेश शैक्षणिक सेवा (उच्चशिक्षा) में सहायक प्राध्यापक के पद पर अस्थायी तौर पर स्थानापन्न रूप से आगामी आदेश तक वेतनमान 2200-75-2800-100-4000 में [illegible] के उनके कार्यभार ग्रहण करने के दिनांक से निम्न शर्तों के अधीन नियुक्त किया जाता है तथा उनका पदांकन उनके नाम के समक्ष अंकित महाविद्यालय में किया जाता है।

2/ यह नियुक्ति किसी भी ओर से एक माह का नोटिस अथवा उसके एवज में एक माह का वेतन दिया जाकर समाप्त की जा सकेगी ।

3/ आपाती तौर पर नियुक्त सहायक प्राध्यापक को नियमित नियुक्ति के लिए प्रथम अवसर आते ही मध्यप्रदेश लोक सेवा आयोग से चयनित होना आवश्यक होगा लोक सेवा आयोग की चयन सूची में जिन आपाती तौर पर नियुक्त सहायक प्राध्यापक का नाम नहीं पाया जायेगा उनकी नियुक्ति बिना किसी पूर्व सूचना के समाप्त की जा सकेगी ।

4/ नियुक्त प्रत्याशी को अपनी पद स्थापना के महाविद्यालय में [illegible] कार्यभार ग्रहण करना है ।

5/ नियुक्त प्रत्याशी द्वारा प्रस्तुत कोई भी जानकारी असत्य पाई जाने पर नियुक्ति तत्काल प्रभाव से समाप्त कर दी जावेगी ।

6/ नियुक्त प्रत्याशी को जिला चिकित्सालय के मेडीकल बोर्ड का स्वास्थ्य प्रमाण-पत्र कार्यभार ग्रहण करते समय प्रस्तुत करना होगा ।

7/ पूर्व में नियोजित प्रत्याशियों द्वारा अपने नियोक्ता (यदि अभी कहीं सेवा में हैं, तो) द्वारा दिया गया अनापत्ति प्रमाण पत्र देना होगा ।

मध्यप्रदेश के राज्यपाल के नाम से
तथा आदेशानुसार

(आर०के० माथुर) 8.11.89
अवर सचिव,
मध्यप्रदेश शासन, उच्चशिक्षा विभाग,

1	2	3	4

विषय:- राजनीति-शास्त्र.

1.	डॉ0 रामनारायण सिंह चौहान	द्वारा- डॉ0 गंगा सिंह चौहान, नीयर गांधी स्कूल करौंदिया, उत्तर टोला सीधी	शास0 महाविद्यालय, चुरहट ।सीधी।
2.	कु0 गीता दुबे	113, न्यू कालोनी, छतरपुर, 471001.	शास0 महाविद्यालय, महाराजपुर।छतरपुर।
3.	श्रीमती उषा राजोरिया	एस0डी0ओ0, टेलीफोन, मुरैना, जिला-मुरैना,	शास0 महाविद्यालय, राघौगढ़ ।गुना।
4.	श्री परेश वानखेड़े	सरदविला, 35, दशहरा मैदान, उज्जैन, 456010,	शास0 महाविद्यालय, धरमपुरी।धार।
5.	कु0 स्वाति दुबे	पी/96, ऋषि नगर, उज्जैन,	शास0 महाविद्यालय, कालापीपल ।शाजापुर।
6.	सुश्री ममता कौशिक	ई-2/25, अरेरा कालोनी, भोपाल,	शास0 महाविद्यालय, सोनकच्छ।देवास।
7.	कु0 उषा सिकरवार	मकान नं. 80, सेठी नगर, उज्जैन, 456010.	शास0 महाविद्यालय, आलोट ।रतलाम।
8.	कु0 सन्जू जैन	8 उदयन मार्ग, उज्जैन,	शास0 महाविद्यालय, सरदारपुर ।धार।
9.	कु0 सोमा सोनी	श्रीराम द्वारा-बहादुर शाह मार्ग, देवास, 455001.	शास0 महाविद्यालय, बागली ।देवास।
10.	श्रीकान्त दुबे	कैलाश भवन, जबदापारा रोड, नया सरकंडा, बिलासपुर, 495001.	शास0 महाविद्यालय, भाटगांव ।रायपुर।
11.	कु0 अनुपमा यादव	तहसील के पास, टीकमगढ़,	शास0 महाविद्यालय, निवाड़ी ।टीकमगढ़।
12.	कु0 ऊर्मि एस0एन0पावगी	द्वारा-एस0एन0पावगी, न्यू फौजदार कालोनी, रसूलिया होशंगाबाद, 461001.	शास0 महाविद्यालय, हरदा ।होशंगाबाद।
13.	सुश्री बिन्दु त्रिपाठी	मटन मार्केट के पास, गंजनपुर रोड, बैतूल, 460001.	शास0 महाविद्यालय, आमला ।बैतूल।
14.	श्री अनिलकुमारदीक्षित	डी-40, ऋषि नगर, एल0आई0जी0, उज्जैन,	शास0 महाविद्यालय, कटंगी ।बालाघाट।

निरन्तर--------

1	2	3	4
15.	कु0 प्रीति दुबे	द्वारा- अनिल शर्मा एडवोकेट, भगवती गली, फौवारा चौक, उज्जैन, 456001.	शास0 महाविद्यालय, जोरापुर, राजगढ़।
16.	श्री नरेन्द्र सिंह	ग्राम एवं पो0- भोरोखुर्द जिला-मुज्जफर नगर, यू0पी0,	शास0महाविद्यालय, मिसमा। जितासपुर।
17.	कु0 चित्रा भारद्वाज	रामबाग नयी कालोनी, मवाना, मेरठ,	शास0 महाविद्यालय, प्रतापपुर। सरगुजा।
18.	सुश्री अनुपमा कश्यप	एल0आई0जी-67, नेहरू नगर, भोपाल,	शास0 महाविद्यालय, नसरुल्लागंज। सीहोर।
19.	कु0 भावना पवार	55, लक्ष्मी नगर, उज्जैन,	शास0 महाविद्यालय, धार,
20.	कु0 भावना सक्सेना	चैबानी निवास, सोमलली, ग्वालियर, 474002.	शास0 महाविद्यालय, अशोक नगर, गुना,
21.	सुश्री साधना चतुर्वेदी	सी-2/बी2सी, 176, जनकपुरी नई दिल्ली, 110058.	शास0 महाविद्यालय, उमरिया, शहडोल।
22.	कु0 जयमाला गांधी	8, आदिनारायण मन्दिर, कोतवाली रोड, उज्जैन,	शास0 महाविद्यालय, भिकनगांव। खरगोन।
23.	कु0 चेतना माहेश्वरी	घास मण्डी, सासवन, बदायूं, उत्तर प्रदेश- 243638	शास0 महाविद्यालय, जयसिंह नगर। शहडोल।
24.	श्रीमती सरिता अग्रवाल	द्वारा- ए0के0अग्रवाल, 139, टोपर्स कालोनी, वैष्णव सदन, नीमच, 458441.	शास0 महाविद्यालय, मन्दसौर,
25.	कु0 कल्पना शर्मा	क्वार्टर नं. 141, 13 नीलगंगा, रेलवे कालोनी, उज्जैन,	शास0 महाविद्यालय, खिलचीपुर। राजगढ़।
26.	श्री उत्तम सिंह चौहान	6/21, लालगढ़ हाउस, कालीदास मार्ग, मक्सीरोड, फ्रीगंज, उज्जैन, 456001.	शास0 महाविद्यालय, लालबहादुर नगर, राजनन्दगांव,
27.	सुश्री सीमा शर्मा	16, रघुवंशी कालोनी, मरीमाता चौक, इन्दौर, 452006.	शास0 महाविद्यालय, धामनोद। धार।

निरन्तर-------

	2	3	4
28.	श्री शिवदयाल वरेठ	क्वार्टर नं. एमओ/41, एमपी इबी, विद्युत नगर, दर्री, कोरबा,	शास0 महाविद्यालय, पित्थौरा ।रायपुर।
29.	कु0 गीता सक्सेना	मिश्राना भोगाँव, मैनपुरी, उ0प्र0, 205262.	शास0 महाविद्यालय, सलिमनाबाद।जबलपुर।
30.	सुश्री रेशा सिद्दीकी	सी-14/59, ऋषि नगर, उज्जैन, 456010.	शास0 महाविद्यालय, लांजी ।बालाघाट।
31.	कु0 भुवनेश्वरी स्वामी	64, ब्रजेश मार्ग, दशहरा मैदान, मोतीलाल नेहरू नगर, उज्जैन, 456010.	शास0 महाविद्यालय, इछावर।सीहोर।
32.	कु0 अंजली पण्ड्या	प्राचार्य, शास0कालेज, भुआ, बिछिया, मण्डला, 481995.	शास0 महाविद्यालय, भुआ बिछिया ।मण्डला।
33.	कु0 रश्मि टंडन	87/4, नर्मदा रोड, जबलपुर, 422001.	शास0 महाविद्यालय पाटन, ।जबलपुर।
34.	श्री डॉ0 सुरेश बाबू	बी-21, संदिपनी हास्टल, विक्रम विश्वविद्यालय, उज्जैन, 456010.	शास0 महाविद्यालय, धुमका ।राजनन्दगाँव।
35.	श्री धीरज कुमार वर्मा	212, राजेन्द्र मार्ग, कहार मुहल्ला, बड़वानी, 451551.	शास0 महाविद्यालय, पलेरा।टीकमगढ़।
36.	कु0 नीला राणा	बी.सी.आई. स्टाफ कालोनी, पुरानी कोठी, नं. 1/4, बीड़लाग्राम, नागदा, उज्जैन,	शास0 महाविद्यालय, परसवाड़ा ।बालाघाट।
37.	कु0 अपरणा मोहनिया	118, मारवाड़ी रोड, भोपाल, 462001.	शास0 महाविद्यालय, दमुआ ।छिन्दवाड़ा।
38.	श्री राजेन्द्र कुमार मराठा	5 महाकालघाटी, उज्जैन, 456006.	शास0 महाविद्यालय अमानगंज ।पन्ना।
39.	श्री आलोक कुमार राय	एम.आई.जी. 23/9, वेद नगर, नानाखेड़ा, तावेररोड, उज्जैन,	शास0 महाविद्यालय, देवेन्द्र नगर ।पन्ना।

निरन्तर____

1	2	3	4	5
40.	सुश्री हाजरा बानो	द्वारा - ताज साइकल स्टोर, जगमाल चौक, बिलासपुर,	शास0 कन्या महाविद्यालय, पेन्ड्रारोड ।बिलासपुर।	
41.	कु0 अभिलाषा करवेड़कर	9, दमदमा कोठी रोड, उज्जैन,	शास0 कन्या महाविद्यालय, छपारा । सिवनी।	
42.	कु0 प्रतिभा जैन	अनिल प्रिन्टिंग प्रेस, नेहरू चौक, गंजबासौदा, विदिशा, 464221.	शास0 महाविद्यालय, सागर,	
43.	श्री संजय कुमार तिवारी	ए.पी.एम.जी. देशमुख का मकान, शासकीय क्वार्टर्स के पीछे, विकास नगर, बिलासपुर,	शास0 महाविद्यालय, छुईखदान ।राजनान्दगांव।	
44.	कु0 अरुणा पाण्डे	टीकरीपारा, तखतपुर, बिलासपुर,	शास0 संस्कृत महाविद्यालय, रायपुर,	
45.	श्री अनिल कुमार जैन	16, जीवागंज, मन्दसौर, 458002.	शास0 महाविद्यालय, अम्बिकापुर ।सरगुजा।	
46.	श्रीमती सीमा खान	नर्मदा साफ्ट ड्रिंक्स, प्राइवेट लिमिटेड, इन्डस्ट्रियल, एरिया, सिरगिट्टी, बिलासपुर,	शास0 महाविद्यालय, मानपुर ।राजनान्दगांव।	
47.	श्री पूरनलाल पटेल	द्वारा- राम कुमार ठाकुर, राम निकेतन चाल के पास, सीपतरोड, सरकंडा, बिलासपुर, 495001.	शास0 महाविद्यालय, खरसिया ।रायगढ़।	
48.	कु0 अंजली जोशी	6/पी, राजेन्द्र नगर, इन्दौर, 452001.	शास0 महाविद्यालय, भैंसदेही ।बैतूल।	
49.	श्री देवेश नारायण त्रिपाठी	मुहल्ला बजरिया, पो0- छिबरामऊ, जिला-फर्रुखाबाद, उ0प्र0, 209721.	शास0 महाविद्यालय, सिहावल ।सीधी।	
50.	कु0 विद्या श्रोत्री द्वारा/ श्री पी.पी. त्रिवेदी,	क्लर्क जनपद पंचायत, बलौदा बाजार, रायपुर,	शास0 कन्या महाविद्यालय, बलौदाबाजार ।रायपुर।	
51.	कु0 प्रेमलता अवस्थी	एडवोकेट, गीता नगर, रायपुर, 492001.	शास0 कन्या महाविद्यालय, रायपुर नगर।रायपुर।	

निरन्तर——

कु० म [illegible] बाजपेयी	कालेज रोड बजरंग नगर सकतपुर, बिलासपुर-495330	शास०कन्या महावि० कांकेर ।बस्तर।
53. कुमारी कल्पना राय ।विक्रेता।	शांति सदन, कटरा, बांदा, उ०प्र० -210001	शासकीय महाविद्यालय, हरपालपुर ।छतरपुर।
54. डॉ० प्रकाश यादव ।एस.सी.।	51/1 विष्णुपुरा, माधव नगर, उज्जैन	शासकीय महाविद्यालय, नई गढ़ी ।रीवा।
55. श्री शैलानन्द खापर्डे ।एस.सी.।	ग्राम व पो.--मटिया, वाया कटंगी, ।रायपुर।	शास०महाविद्यालय, मालखरोद ।बिलासपुर।
56. कु० रीता देवी डोंगरे ।एस.सी.।	रेलवे क्वा.नं.एल-/93/4 लोको रनिंग रूम के पास बिलासपुर	शासकीय महाविद्यालय, कांकेर ।बस्तर।
57. श्री शिवकुमार डोंडिकर ।एस.टी.।	ग्राम [illegible], पो. कटनाई [illegible] बिलासपुर।	शासकीय महाविद्यालय, बसना ।रायपुर।
58. श्री दलपसिंह भोसले ।एस.टी.।	लेक्चरर शास. [illegible] महाविद्यालय पानसेमल ।धार।	शास०महावि० डोंगरगढ़ ।राजनांदगांव।
59. कु० अनीता तम्हाने ।एस.सी.।	दयाल चंद प्रायमरी स्कूल के पास टिकरापारा रोड, बिलासपुर	शासकीय महाविद्यालय, जैतपुर ।शहडोल।
60. श्री पानाराम कोठारिया	मुकाम पो० तुसमा, वाया- शिवरीनारायण, बिलासपुर	शास०महाविद्यालय, रामाटोला, ।राजनांदगांव।
61. श्री नागरत्न जागरती	ग्राम व पो० महद, मचंदुर, वाया अंबागढ़ चौकी, राजनांदगांव	शासकीय महाविद्यालय दन्तेवाड़ा ।बस्तर।
62. श्री छोटेलाल	ग्राम व पो० बघेलवाड़ी तहसील नरैनी, वाया अतर्रा, जिला बांदा पिन- 210201	शासकीय महाविद्यालय, जुन्नारदेव ।छिन्दवाड़ा।

कार्यालय सचिव, जनभागीदारी समिति

महाविद्यालय: [illegible] महाविद्यालय मण्डला

क्रमांक: 481/B-1 दिनांक 14/10/17

प्रति,

नाम: डॉ. (श्रीमती) अंजू सिंह

पिता / पति : श्री श्याम सिंह ठाकुर

पता: 409 साउथ सिविल लाइन जबलपुर म. प्र.

विषय : आपके ऑनलाइन आवेदन के अनुक्रम में अतिथि व्याख्यान हेतु आमंत्रण की सूचना: प्रथम चरण ।

सन्दर्भ : आपका आवेदन क्रमांक 1051051/505745 **दिनांक** 16.06.16

---0---

विषयान्तर्गत एतद द्वारा सूचित किया जाता है कि आपको इस महाविद्यालय में समाजशास्त्र विषय पर व्याख्यान देने हेतु सहमति हुई है । अत आपसे अपेक्षा की जाती है कि आपको शैक्षणिक सत्र 2017-18 में अतिथि व्याख्यान हेतु आवश्यकता पड़ने पर महाविद्यालय में उपस्थित होगा ।

आपका आमंत्रण निम्न शर्तों के अध्याधीन होगा :

1. यह कि आपको 45 मी. से 55 मी. के एक कालखंड के व्याख्यान के लिए रुपए 275/- तथा एक कार्यदिवस हेतु अधिकतम 825/- देय होगा । एक कार्य दिवस में अधिकतम 04 व्याख्यान तक आपको आवंटित किये जा सकते हैं ।
2. यह आमंत्रण शैक्षणिक सत्र 2017-18 के लिए ही सीमित होगा ।
3. आपकी व्याख्यान देने की पात्रता किसी भी समय बिना पूर्व सूचना के सचिव, जनभागीदारी समिति द्वारा समाप्त की जा सकेगी ।
4. महाविद्यालय द्वारा किसी भी प्रकार का यात्रा व्यय देय नहीं होगा ।
5. आपको महाविद्यालय में अपने मूल प्रमाण पत्रों एवं पुलिस या न्यायालय में आपराधिक प्रकरण न होने संबंधी प्रमाण/अन्य शासकीय/अर्द्धशासकीय/अशासकीय सेवा में कार्यरत न होने के संबंध में शपथ पत्र प्रस्तुत करना होगा ।
6. आवेदक को आवंटित महाविद्यालय में दिनांक 05 से 09 सितम्बर, 2017 (सायं 5 बजे तक) तक महाविद्यालय में उपस्थिति देनी होगी। निर्धारित तिथि तक उपस्थित न होने पर आमंत्रण स्वतः निरस्त हो जावेगा ।
7. आवंटित महाविद्यालय में उपस्थित होने पर मूल प्रमाण पत्रों द्वारा पुनः सत्यापन करना होगा ।
8. आपको शासन के आदेश क्र: 969/एफ-1-9/2016/38-1 दिनांक 8 अगस्त, 2016 में वर्णित नियमों एवं शर्तों के अधीन व्याख्यान के लिए आमंत्रण किया जा रहा है।
9. यह आमंत्रण माननीय उच्च न्यायालय में अतिथि विद्वान आमंत्रण-प्रक्रिया से संबंधित याचिकाओं में माननीय उच्च न्यायालय के निर्णय/आदेशों के अध्यधीन है।

सचिव
14.10.17
जनभागीदारी समिति
प्राचार्य
[illegible]
महाविद्यालय, मण्डला

पृ० क्रमांक 481/B-2 दिनांक 14/10/17

प्रतिलिपि:

1. क्षेत्रीय अतिरिक्त संचालक, उच्च शिक्षा, ... संभाग, की ओर आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित ।
2. कार्यालयीन प्रति

सचिव
14.10.17
जनभागीदारी समिति
प्राचार्य
[illegible]
महाविद्यालय, मण्डला

कार्यालय प्राचार्य शासकीय चन्द्र विजय महाविद्यालय डिण्डौरी (म.प्र.)

अनुभव प्रमाण–पत्र

दिनांक :– 04 / 07 / 2006
12/07/06

प्रमाणित किया जाता है कि श्री पी.के.सोनी आत्मज श्री कामता प्रसाद सोनी ने शासकीय चन्द्र विजय महाविद्यालय में दिनांक 14 / 09 / 2005 से दिनांक 28 / 02 / 2006 तक की अवधि में अर्थशास्त्र विषय में अतिथि विद्वान के रूप में 312 व्याख्यान दिये हैं।

12.7.06
विभागाध्यक्ष अर्थशास्त्र
डॉ. एस.के. बर्मन
Dr. S.K. Barman
Professor
Govt. C.V. College
शासकीय चन्द्र विजय महाविद्यालय
डिण्डौरी म.प्र.

प्रभारी प्राचार्य
(एम. एस. चन्देल)
शासकीय चन्द्र विजय महाविद्यालय
डिण्डौरी (म.प्र.)
PRINCIPAL
GOVT. C.V. COLLAGE, DINDORI
DISTT. DINDORI (M.P.)
12/7/06

कार्यालय सचिव, जनभागीदारी समिति

महाविद्यालय: शास. ज. मु. चौ. महिला महाविद्यालय [illegible]

क्रमांक: 481/A-1

दिनांक: [illegible]

प्रति,

नाम: RUPESH BHADE

पिता / पति : RAMRAO

पता: WARD No. 2 JUNNARDEO

विषय : आपके ऑनलाइन आवेदन के अनुक्रम में अतिथि व्याख्यान हेतु आमंत्रण की सूचना: प्रथम चरण ।

सन्दर्भ : आपका आवेदन क्रमांक 1085(4/51247) **दिनांक** 14/10/2017

----0----

विषयान्तर्गत एतद द्वारा सूचित किया जाता है कि आपको इस महाविद्यालय में English विषय पर व्याख्यान देने हेतु सहमति हुई है । अतः आपसे अपेक्षा की जाती है कि आपको शैक्षणिक सत्र 2017-18 में अतिथि व्याख्यान हेतु आवश्यकता पड़ने पर महाविद्यालय में उपस्थित होगा ।

आपका आमंत्रण निम्न शर्तों के अध्याधीन होगा :

1. यह कि आपको 45 मी. से 55 मी. के एक कालखंड के व्याख्यान के लिए रुपए 275/- तथा एक कार्यदिवस हेतु अधिकतम 825/- देय होगा । एक कार्य दिवस में अधिकतम 04 व्याख्यान तक आपको आवंटित किये जा सकते हैं ।
2. यह आमंत्रण शैक्षणिक सत्र 2017-18 के लिए ही सीमित होगा ।
3. आपकी व्याख्यान देने की पात्रता किसी भी समय बिना पूर्व सूचना के सचिव, जनभागीदारी समिति द्वारा समाप्त की जा सकेगी ।
4. महाविद्यालय द्वारा किसी भी प्रकार का यात्रा व्यय देय नहीं होगा ।
5. आपको महाविद्यालय में अपने मूल प्रमाण पत्रों एवं पुलिस या न्यायालय में आपराधिक प्रकरण न होने संबंधी प्रमाण/अन्य शासकीय/अर्द्धशासकीय/अशासकीय सेवा में कार्यरत न होने के संबध में शपथ पत्र प्रस्तुत करना होगा ।
6. आवेदक को आवंटित महाविद्यालय में दिनांक **05** से **09** सितम्बर, 2017 (सायं 5 बजे तक) तक महाविद्यालय में उपस्थिति देनी होगी। निर्धारित तिथि तक उपस्थित न होने पर आमंत्रण स्वतः निरस्त हो जावेगा ।
7. आवंटित महाविद्यालय में उपस्थित होने पर मूल प्रमाण पत्रों द्वारा पुनः सत्यापन करना होगा ।
8. आपको शासन के आदेश क्र: 969/एफ-1-9/2016/38-1 दिनांक 8 अगस्त, 2016 में वर्णित नियमों एवं शर्तों के अधीन व्याख्यान के लिए आमंत्रण किया जा रहा है।
9. यह आमंत्रण माननीय उच्च न्यायालय में अतिथि विद्वान आमंत्रण-प्रक्रिया से संबंधित याचिकाओं में माननीय उच्च न्यायालय के निर्णय/आदेशों के अध्यधीन है।

सचिव
जनभागीदारी समिति
14.10.17

पृ० क्रमांक 481 A-2

दिनांक 14.10.17

प्रतिलिपि:

1. क्षेत्रीय अतिरिक्त संचालक, उच्च शिक्षा, ... संभाग, की ओर आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित ।
2. कार्यालयीन प्रति

सचिव
जनभागीदारी समिति
14.10.17